


# जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

(गोपनीय शाखा)

## आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 532 गो0(आ0) दिनांक 26.05.2020 के द्वारा सुब्दीडीह ग्राम, आदेश ज्ञापांक 565 गो0(आ0) दिनांक 07.06.2020 के द्वारा मुहल्ला राजबाड़ी (जामताड़ा), आदेश ज्ञापांक 573/ गो0(आ0) दिनांक 10.06.2020 के द्वारा नूतनडीह ग्राम एवं आदेश ज्ञापांक 606 गो0(आ0) दिनांक 25.06.2020 के द्वारा रानीडीह ग्राम को (कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने के कारण) कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में कोविड-19 से संबंधित कोई भी मामला प्रतिवेदित नहीं होने एवं संक्रमित व्यक्तियों के पूर्णतः स्वास्थ्य हो जाने के कारण उपरोक्त सभी कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


  
उपायुक्त,  
जामताड़ा।

ज्ञापांक...657...../गो0 (आ0), दिनांक...13/07/2020

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा/ उप विकास आयुक्त-सह-वरीय प्रभारी (COVID-19) जामताड़ा/ अपर समाहर्ता, जामताड़ा/ अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा/ नाला/ सिविल सर्जन, जामताड़ा/ जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा/ अंचल अधिकारी, जामताड़ा/ श्री प्रधान मांड़ी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जामताड़ा/ नगर परिषद मिहिजाम/ सभी प्रभारी प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी/ थाना प्रभारी अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों/ कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
उपायुक्त,  
जामताड़ा।